कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 336/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 11.09.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 11.09.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी-

01.थाना- जीयनपुरः वीजा समाप्त हो जाने के नाम पर हुए साइबर फ्राड के 20439 रूपयें आवेदक के खातें में वापस कराया गया।

पूर्व की घटना/इतिहास–

आवेदक श्रीरामदवर पुत्र गिरधारी निवासी हरैया हिरनी गुल्लीगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ को दामाद अशोक कुमार जो दुबई में रहते है उनके नाम से फेक फेसबुक आईडी बनाकर आवेदक को मैसेन्जर के माध्यम से फोन करके बीजा समाप्त हो जाने की बात बताते हुए आवेदक से 50000/- रूपये की मांग की गयी और आवेदक द्वारा दिनांक 05.02.2025 को इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपने पुत्री नीलम के स्टेट बैंक आफ इण्डिया के खाता सं0 31368XXX IFSC Code- SBIN00XXXX शाखा हरैया जनपद आजमगढ़ से कुल 50000/- रूपया साइबर भेज दिया गया गया पुनः आवेदक से एक लाख रूपये की मांग की गयी तो आवेदक को पता चला कि मेरे साथ फ्राड हो रहा है तब आवेदक द्वारा साइबर पोर्टल (NCRP) पर शिकायत संख्या 231022500XXXX दर्ज करायी गयी थी। शिकायत की जाँच उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय व क0आ0 शहादत अंसारी द्वारा किया गया।

बरामदगी का विवरण-

उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय व क0आ0 शहादत अंसारी द्वारा आवेदक रामदवर पुत्र गिरधारी निवासी हरैया हिरनी गुल्लीगढ़ थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ के पुत्री नीलम के खाता से दिनांक 05.02.2025 को कुल 50,000/- रूपया का साइबर फ्राड हो गया था साइबर कम्पलैन के माध्यम से होल्ड हुए रूपया 20439/- को दिनांक 11.09.2025 को आवेदक के पुत्री नीलम के खाते में वापस/ बरामद कराया गया।

<u>बरामद करने वाली टीम -</u>

1. उ0नि0 विश्वजीत पाण्डेय थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. क0आ0 शहादत अंसारी थाना जीयनपुर आजमगढ़
3. का0 अजय पाठक थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

02.थाना- मेंहनगर: किशोरी के साथ छेड़खानी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

दिनांक 10.09.25 को वादिनी मुकदमा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 09/09/25 समय करीब 9 बजे वादिनी अपने बच्चो को छोड़कर अपने बहन के ससुर के बरसी मे ग्राम बँरवा सागर थाना मेंहनगर चली गयी थी जब मै शाम को करीब 7 बजे घर आयी तो वादिनी की लडकी उम्र 15 वर्ष मुझसे रो-रो कर बताने लगी कि अमरजीत पुत्र बुद्दीराम ने वादिनी की लड़की के साथ छेड़खानी की गयी, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 430/25 धारा 77 BNS & 7/8 POCSO ACT पंजीकृत करते हुए विवेचना उ0नि0 आदिल खान द्वारा प्रचलित है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण ....

दिनांक 11.09.25 को उ0नि0 आदिल खाँ मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अमरजीत पुत्र बुद्धिराम सा0 चन्द्रभानपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ उम्र करीब 30 वर्ष को जाफरपुर बाजार से 11.20 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1-अमरजीत पुत्र बुद्धिराम सा0 चन्द्रभानपुर थाना मेहनगर जनपद आजमगढ

पंजीकृत अभियोग –

1-मु0अ0सं0 430/25 धारा 77 BNS & 7/8 POCSO ACT थाना मेहनगर जनपद आजमगढ

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1-उ0नि0 आदिल खाँ मय हमराह का0 वसीम अकरम थाना मेहनगर जनपद आजमगढ

03.थाना- सिधारी: चोरी के सामान के साथ 02 अभियुक्ता गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का विवरण-

दिनांक 12.08.2025 को वादिनी मोनिका सिंह पत्नी धीर बहादुर सिंह साकिन पीवाताल जनपद मऊ हाल पता सम्मोपुर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ मय हमराह पति खुद के उपस्थित थाना आकर एक लिखित तहरीर दी कि दो अज्ञात महिलाओं द्वारा वादिनी के गले से सोनें की चैन चुरा लेनें के संबंध में दाखिल किया कि दाखिला तहरीर मु0अ0सं0 390/25 धारा 304(2) बीएनएस बनाम लाल साड़ी पहनें महिला नाम पता अज्ञात के पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ0नि0 विधनेश वर्मा द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी/घटना का अनावरण-

आज दिनांक 11.09.2025 को उ0नि0 विधनेश वर्मा थाना सिधारी आजमगढ़ हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान कमिश्नरी रोड़ सिधारी पार्क के पास से अभियुक्ता 1. संजू उर्फ राधिका पत्नी पिन्टू उर्फ संजय उर्फ आर्यन ग्राम मजुरी हाटा थाना मझगांवा जनपद गोरखपुर हाल पता फरसाड़ थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर उम्र करीब 40 वर्ष, 2. फूलमती उर्फ केवलमती पत्नी जुलमी निवासी मजुरी हाटा थाना मझगांवा जनपद गोरखपुर हाल पता सहजौली थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर उम्र करीब 58 वर्ष को मुखबिर के सूचना पर समय 11.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

अनावरण अभियोग का विवरण:-

मु0अ0सं0 390/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना सिधारी जनपद आजमगढ

बरामदगी का विवरण-

1- 01 अदद चेन पीली धातु

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम पता -

1. संजू उर्फ राधिका पत्नी पिन्टू उर्फ संजय उर्फ आर्यन ग्राम मजुरी हाटा थाना मझगांवा जनपद गोरखपुर हाल पता फरसाड़ थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर उम्र करीब 40 वर्ष
2. फूलमती उर्फ केवलमती पत्नी जुलमी निवासी मजुरी हाटा थाना मझगांवा जनपद गोरखपुर हाल पता सहजौली थाना बड़हलगंज जनपद गोरखपुर उम्र करीब 58 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास-

संजू उर्फ राधिका

1.मु0अ0सं0 -718/23 धारा – 379/419/511 बी0एन0एस0 थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर

2. मु0अ0सं0 390/25 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना सिधारी जनपद आजमगढ

फूलमती उर्फ केवलमती

1.मु0अ0सं0- 598/24 धारा 303(3)/317 बी0एन0एस0 थाना कोतवाली जनपद देवरिया

2. मु0अ0सं0 390/25 धारा 304(2) बीएनएस थाना सिधारी जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 विधनेश वर्मा कां0 शैलेन्द्र यादव म0कां0 शिवानी सरोज थाना सिधारी आजमगढ़

04.थाना- महराजगंजः किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 05.09.25 को वादिनी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि आवेदिका की पुत्री उम्र 16 वर्ष को विपक्षी अजय निषाद पुत्र रामचन्द्र निषाद द्वारा शादी का झासा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 246/25 धारा 69/87/137(2)/352/351(3) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(1)द/3(1)ध/3(2)5 एससीएसटी एक्ट बनाम 1. अजय निषाद पुत्र रामचन्द्र निषाद सा0 परशुरामपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी सगड़ी द्वारा की जा रही है ।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 11.09.25 को प्र0नि0 श्री केदारनाथ मौर्य के नेतृत्व में व0उ0नि0 अजय कुमार यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अजय निषाद पुत्र रामचन्द्र निषाद सा0 परशुरामपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को नया चौक कस्बा महराजगंज से दिनांक 11.09.2025 को समय 10.50 बजे हिरासत पुलिस में नियमानुसार लेकर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. अजय निषाद पुत्र रामचन्द्र निषाद सा0 परशुरामपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 246/25 धारा 69/87/137(2)/352/351(3) बीएनएस व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3(1)द/3(1)ध/3(2)5 एससीएसटी एक्ट पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी में लेने वाली टीम –

1-प्र0नि0 केदारनाथ मौर्य के नेतृत्व में व0उ0नि0 अजय कुमार यादव का0 अमन यादव थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 11.09.2025 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्ता को मा0 न्यायालय द्वारा अवैध नशीला पदार्थ 1.25 किलोग्राम गांजा रखने के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर **08 दिवस के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना निजामाबादः अबैध नशीला पदार्थ रखने के आरोप में जुर्म स्वीकृत के आधार पर **08 दिवस के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

➡ दिनांक- 05.04.2022 को वादी मुकदमा उ0नि0 शमशाद अली थाना निजामबाद जनपद आजमगढ़ लिखित तहरीर दी थी कि **अभियुक्ता निर्मला देवी पत्नी प्यारेलाल निवासी ग्राम रामपुर थाना निजामबाद जनपद आजमगढ़** द्वारा खुले में गांजा बेचने की सूचना मिलने पर उसके कब्जे से दिनांक-05.04.2022 को 1.25 किलोग्राम गांजा बरामद होना।

➡ अभियुक्ता के विरूद्ध थाना निजामबाद पर मु0अ0सं0- 116/2022 धारा-8/20 NDPS Act पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्ता के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ जुर्म स्वीकृत के आधार पर।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 11.09.2025 को मा0 न्यायालय एफ0टी0सी0-प्रथम आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्ता निर्मला देवी पत्नी प्यारेलाल निवासी ग्राम रामपुर थाना निजामबाद, जनपद आजमगढ़ को जुर्म स्वीकृत के आधार पर 08 दिवस के साधारण कारावास व 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**